2071

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013 **Order** Dated Shimla-171002, the

Sub:- Diversion of 4.7564 hectare of additional forest land in favour of M/sRamesh Hydro Power (P) Ltd, for the construction of 24 MW Selti-Masrang Hydro Electric Project within the jurisdiction of Sarahan Wildlife Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्र्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9–HPB690/2011 – CHA दिनांक 28-05-2013** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा **4.7564 hectare of additional** forest land in favour of M/sRamesh Hydro Power (P) Ltd, for the construction of 24 MW Selti-Masrang Hydro Electric Project within the jurisdiction of Sarahan Wildlife Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh को उपयोग के लिए निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान की जाती है। स्वीकृति

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।

2 कम से कम वृक्ष कटवायें जायेंगे जिनकी सख्या प्रस्ताव के अनुसार **चालीस वृक्षों** से अधिक नही होगी।

3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UF-27 Katgoan में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये **27,93,408/–(सत्ताईस लाख तरानवे हजार चार सौ आठ मात्र)** की राशि से कुल **9.5128** हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगााकर किया जायेगा। **प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।**

4\. The total cost of the CAT Plan would be deposited by the User Agency in the Ad-hoc CAMPA account as directed vide letter No.**9–HPB690/2011 – CHA** dated 13.3.12 in equal yearly instalments spread over the duration from commencement to commissioning of the puoject, with the last installment payable at least six months before commissioning the Project. The details of amount deposited should be filled in prescribed proforma and sent to **Regional Office,** GoI, MoEF, Chandigarh office for confirmation.

5 The user agency shall fulfil all the conditions mentioned by the Chief Wildlife Warden (CWLW) in his letter dated 17.12.2011

6 साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहुंचाया जाएगा। तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा ऊपाय / पूर्व ऊपाय दृढतापूर्वक किये जायेंगे।

7 सीमेंट कंकरीट के खम्भों जिन पर आगे तथा पीछे कम सख्या तथा एक खम्बे से दूसरे खम्बे की दूरी अंकित हों, प्रयोत्ता एजैंसी के द्वारा परियोजना खर्च पर पट्टे क्षेत्र का सीमांकन किया जाये।

APCCF(FCA) 1749 15/7/13

PCCF 11/7

8 प्रयोत्ता एजैंसी तथा वन विभाग द्वारा भूमि सुधार योजना कार्यान्वित की जायेगी। वन मण्डल अधिकारी निजी तौर पर इस शर्त के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि मलबा स्थल का उचित रूप से सुधार कर दिया गया है।

9 मलबे का प्रयोग स्थानीय रूप से पुश्ता–दिवार (Retaining Wall) के पीछे गड्ढों को भरने / ढलानों के सुधार के लिए किया जायेगा। इसे पहाडी ढलान के नीचे बिल्कुल नही गिराया जायेंगा तथा न ही नालों आदि में गिराया जाएगा।

10 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

11 यदि कोई अन्य संबधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यांयालय आदेश /अनुदश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

12 उपरोक्त निर्माण में जो भी वृक्ष आयेगें उन्हे हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा हटाया जायेगा।

13 भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9–HPB690/2011 – CHA** **दिनांक 28-05-2013** में अंकित सभी शर्तो की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

14 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum- Deputy Commissioner, District Shimla, HP.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA) Dated, Shimla-171001 the,… 6-7-13

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 –A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer –cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001.
5. The Deputy Commissioner, Shimla, Distt, Shimla, Himachal Pradesh .
6. M/s Ramesh Hydro Power Private Limited, Plot No. 107, Prashanthi Pagar, Near I.E.Kukatpally, Hyderabad-500072 (Andhra Pradesh).
7. CCF, Shimla,(WL) /DFO, Sarahan Wildlife Division, Distt. Shimla, HP.
8. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.